MB-13

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

प्रखण्ड कार्यालय : पण्डौल

निरीक्षण की तिथि : 24–02–2003

डा० बी० राजेन्दर

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 24-2-2003 को प्रखंड कार्यालय, पण्डौल का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

(1) परिचय :-

पण्डौल प्रखंड कार्यालय की स्थापना 1-4-1964 में हुई एवं दिनांक 1-4-1968 से सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्तित्व में है । जिला मुख्यालय से 12 किलो मीटर की दूरी पर मधुबनी -सकरी पथ पर अवस्थित है । रेलवे स्टेशन, प्रखंड कार्यालय से 3 कि०मी० की दूरी पर है । प्रचलित किंवदन्तियों के अनुसार प्राचीन काल में पाण्डवों ने अपने बनवास काल में एक दिन का समय प्रखंड कार्यालय से पूरब लगभग एक किलो मीटर की दूरी पर स्थित एक डोह(ऊँचा स्थान) पर गुजारा था, जिसके कारण ही संभवतः इसका नामांकरण "पण्डौल" हुआ है । इसके अलावा प्रखंड कार्यालय से मात्र तीन किलो मीटर की दूरी पर भवानीपुर ग्राम में उगना महादेव का मंदिर स्थित है, जिसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है । मंदिर वाले स्थान के बारे में यहाँ प्रचलित है कि मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि एवं परम शिव भक्त विद्यापति जी के यहाँ भगवान शिव उगना नाम से रूप बदल कर सेवक के रूप में कार्य करते थे और एक बार कहीं जाने के क्रम में मंदिर वाले स्थान के पास विद्यापति जी के द्वारा पीने के लिए पानी माँगे जाने पर शिवजी (उगना) ने अपनी जटा से गंगाजल निकाल कर उन्हें दिया था, जिसे विद्यापति जी भाँप गये थे और अन्ततः शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर विद्यापति जी को दर्शन दिया था । इसके अतिरिक्त इसी प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत स्थित सरिसव ग्राम में सुप्रसिद्ध मूर्धन्य विद्वान पंडित अयाची मिश्र की जन्म भूमि भी स्थित है ।

इस प्रखंड से संबंधित अन्य सूचनाएँ निम्नवत है :-

(क) कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)	:-	2, 18, 274
पुरुष	:-	1, 10, 533
महिला	:-	1, 07, 741
कुल पुरुष साक्षर की संख्या	:-	52, 768
कुल महिला साक्षर की संख्या	:-	26, 374

लगातार...2/-

(ख) चौहद्दी :-

उत्तर	:-	राजनगर एवं रहिका प्रखंड
पूरब	:-	झंझारपुरप्रखंड
पश्चिम	:-	रहिका एवं दरभंगा जिला का सीमा
दक्षिण	:-	दरभंगा जिला का सीमा

(ग) विद्यालय/महाविद्यालयों की संख्या:-

प्राथमिक विद्यालय की संख्या	:-	98
मध्य विद्यालयों की संख्या	:-	26
उच्च विद्यालयों की संख्या	:-	05
महाविद्यालयों की संख्या	:-	02
बुनियादी विद्यालयों की संख्या	:-	02
घरवाहा विद्यालयों की संख्या	:-	01

(घ)	प्रखंड का कुल क्षेत्रफल	:-	16,767.72 हेक्टेयर
(ङ)	कृषि योग्य भूमि	:-	9,563.42 हेक्टेयर
(च)	कुल परिवारों की संख्या	:-	32,517
(छ)	बी0पी0एल0परिवारों की संख्या	:-	27,587
(ज)	पंचायतों की संख्या	:-	26 (छब्बीस)
(झ)	हल्कों की संख्या	:-	09
(ट)	राजस्व ग्रामों की संख्या	:-	75
(ठ)	बेचिरागी ग्रामों की संख्या		
(ड)	वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	:-	05
(ढ)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	:-	04
(ण)	सहकारिता बैंकों की संख्या	:-	01
(त)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	:-	01
(थ)	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	:-	05
(द)	स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या	:-	31
(ध)	राजकीय औद्योगालयों की संख्या	:-	02

लगातार....3/

(न)	रेफरल अस्पताल की संख्या	:-	01 (अकार्यरत)
(प)	थाना एवं ओ०पी० की संख्या	:-	03
(फ)	जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	:-	04
(ब)	पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	:-	40
(भ)	ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	:-	365

इस प्रखंड परिसर से सटे दक्षिण लगभग एक किलो मीटर की लम्बाई में 20 वीं सदी के 79 के दशक में एक महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना की स्थापना हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की बड़ी एवं छोटी इकाईयों का निर्माण हुआ, जिसमें स्पीनिंग मिल, विस्कोमान शीत गृह भंडार, ग्लूकोज इत्यादि जैसी कुछ बड़ी इकाईयाँ भी हैं, किंतु कतिपय कारणवश निर्माणाधीन अवस्था में ही या कुछ एक वर्ष चलकर ये औद्योगिक इकाईयाँ बन्द हो गयी और आज की तिथि में सभी इकाईयाँ बन्द है । स्पीनिंग मिल एक अत्याधुनिक मिल है और इससे निर्मित धागे उच्च गुणवत्ता वाले हुआ करते थे, जो हाल ही में बन्द हो गयी है । इसके अलावा लोहट चीनी मिल एवं सकरी चीनी मिल (प्रखंड सीमा पर अवस्थित) भी इस इलाके की महत्वपूर्ण चीनी मिलें हुआ करती थी, जो बन्द पड़ी हुई है । इसके अतिरिक्त सकरी बाजार में चमड़ा उद्योग के साथ-साथ एक खपड़ा फैक्ट्री भी अवस्थित है, जो बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है । इस प्रकार पूरे प्रखंड क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजनाएँ जो प्रारम्भ की गयी थी, आज बिल्कुल मृतप्रायः है ।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड परिसर में बहुत सारा बोरिंग का पाईप, लकड़ी का बक्सा आदि पड़ा हुआ है, जिसे शीघ्र हटाने का निर्देश दिया जाता है । प्रखंड कार्यालय का यद्यपि रंगाई-पोताई किया गया है, परन्तु प्रखंड के एक कमरे में बोरिंग करने का येक मोल्ड, डोरीवाला मशीन, पुराना लकड़ी का आलमीरा आदि रखा हुआ पाया गया, जिसकी जाँच कर निष्पादन करने की कार्रवाई करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाता है । प्रखंड कार्यालय में बिजली का वायरिंग भी अस्त-व्यस्त स्थिति में है, जिसे आकस्मिकता मद से ठीक कराया जा सकता है । प्रखंड परिसर में पुराने बक्से में बहुत सारी संचिका/रजिस्टर आदि अस्त-व्यस्त स्थिति में रखा हुआ पाया गया, जिसे जाँच कर अविलम्ब निष्पादन करें । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिस कमरे में अनावश्यक रूप से बिना काम का सामान आदि रखा हुआ है, उसकी जाँच-पड़ताल कर 15 दिनों के अन्दर निलाम-कर राशि प्रखंड नजारत में जमा करना सुनिश्चित करें ।

लगातार...4/-

प्रखंड परिसर में प्रवेश करने के दौरान पाया गया कि दीवाल पर बहुत पूर्व की योजनाओं का जिक्र किया गया है, जिसे मिटवाकर प्रखंड में चल रही नई योजनाओं के बारे में संक्षिप्त विवरणी अंकित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी हो सके ।

<u>§2§ भवन :-</u>

प्रखंड कार्यालय अपने निजी भवन में अवस्थित है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कार्यालय भवन की स्थिति ठीक नहीं है, मरम्मति कराने की आवश्यकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय भवन की आवश्यक मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी से पत्राचार करें एवं उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें ताकि जिला स्तर से भी उनसे पत्राचार किया जा सके ।

प्रखंड परिसर में हाल ही में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत "प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र" का निर्माण कराया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण बैठक, प्रशिक्षण आदि हुआ करती है । इसी भवन के ऊपर में "आत्मा" मधुबनी द्वारा संचालित होने वाली गतिविधियों के लिए एक कमरे का निर्माण कराया गया है । कुल मिलाकर यह भवन काफी सुन्दर, सुसज्जित एवं प्रखंड कार्यालय के लिए एक धरोहर के रूप में है ।

प्रखंड परिसर में ही एक पुराना बकरी पालन केन्द्र के लिए कमरा बना हुआ है, जिसमें प्रखंड के कुछ कर्मचारी निवास करते हैं । एक पुराना प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र भी पूर्व से बना हुआ है, जिसमें अभी पंचायत सेवक रहते हैं । प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र के बगल में एक पुराना गोदाम बना हुआ है । इस गोदाम का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सिमेन्ट रखा हुआ है । गोदाम बहुत ही गंदा है, जिसे साफ-सुथरा करने की आवश्यकता है । गोदाम में ही लोहा का छड़, बोरिंग का पाईप, निर्वाचन का बक्सा आदि रखा हुआ है, जिसे जाँचोपरान्त सुव्यवस्थित ढंग से रखवाने का निर्देश दिया जाता है ।

प्रखंड कार्यालय के पीछे भी बहुत गंदगी है जिसे साफ करना आवश्यक है । बहुत सारा अलकतरा का ड्राम भी रखा हुआ पाया गया । प्रखंड कार्यालय के पीछे में ही राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम का एक गोदाम बना हुआ है, जिसमें बहुत सारा लकड़ी रखा हुआ पाया गया । प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछने पर यह लकड़ी कैसा है, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी जाँचोपरान्त निलाम कराकर राशि प्रखंड नजारत में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय । इस व

लगातार...5/-

को 15 दिनों के अन्दर सम्पन्न करने का निर्देश दिया जाता है । प्रखंड परिसर में ही एक गैरेज में स्वास्थ्य विभाग की पुरानी गाड़ी रखा हुआ पाया गया, जो किसी काम के लायक नहीं है । गैरेज की स्थिति भी दयनीय है ।

(3) प्रभार :-

श्री रजनी कान्त, बि0प्र0से0 दिनांक 11-08-1997 से प्रखंड विकास पदाधिकारी, पण्डौल के प्रभार में हैं । इससे पूर्व श्री आनन्द मोहन सिंह, बि0प्र0से0, प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में थे । श्री शिवानन्द दास, परीय प्रवर कोटि सहायक दिनांक 28-9-2001 से प्रधान सहायक के प्रभार में हैं । श्री दास की प्रतिनियुक्ति जिला साहाय्य शाखा, मधुबनी में विशेष कार्य हेतु की गई है, फलस्वरूप श्री प्रहलाद प्रसाद खन्ना, सहायक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रधान सहायक का भी कार्य देख रहे हैं । श्री विश्वनाथ झा दिनांक 10-10-2001 से नाजीर के प्रभार में हैं ।

(4) स्थापना :-

इस प्रखंड में विभिन्न कोटि के पदाधिकारी/कर्मचारी का स्वीकृत बल एवं पदस्थापना की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1-	प्रखंड विकास पदाधिकारी	1	1	-	
2-	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	1	-	1	
3-	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	2	2	-	एक बेनीपट्टी में प्रतिनियु
4-	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	1	1	-	
5-	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	1	-	
6-	कनीय अभियंता	2	1	1	इसके अतिरिक्त एक कनी अभियंता, आर0ई0ओ0 से प्रतिनियुक्त हैं ।
7-	प्रधान सहायक	1	1	-	
8-	सहायक	3	2	-	
9-	लेखा लिपिक	2	2	-	
10-	कनीय लेखा लिपिक	1	1	-	

लगातार...6/-

11-	अनियोजन सं0भत्ता सहायक	1	1	-
12-	उर्दू अनुवादक	1	1	-
13-	सहायक उर्दू अनुवादक	1	1	-
14-	उर्दू टंकक	1	-	1
15-	जनसेवक	20	3	17
16-	पंचायत सेवक	24	16	8
17-	ग्राम सेविका	2	2	-
18-	जीप चालक	1	1	-
19-	अनुसेवक	9	8	1
20-	झाड़ुकश	1	-	1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का एक पद, कनीय अभियंता का एक पद, सहायक का एक पद, उर्दू टंकक का एक पद, जनसेवक का 17 पद, पंचायत सेवक का 8 पद, अनुसेवक का एक पद एवं झाड़ुकश का एक पद रिक्त है । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि रिक्त पदों पर भर्त्ती हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करेंगे । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि झाड़ुकश का पद रिक्त रहने के कारण कार्यालय में सफाई कराने में कठिनाई होती है, फलस्वरूप दैनिक मजदूर से आवश्यकतानुसार सफाई करायी जाती है ।

इस प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पदनाम/स्थायी पता एवं प्रखंड में योगदान देने की तिथि निम्नवत है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	स्थायी पता	योगदान की तिथि
1	2	3	4	5
	श्री रजनीकान्त	प्रखंड विकास पदा0	द्वारा संत रवीन्द्र अकादमी, बजरंग बाग, हिलसा, जिला-नालंदा ।	11-09-1997
	श्री ब्रजनन्दन सिंह	प्रखंड कृषि पदा0	ग्राम-मिल्की, पो0-सिन्हाघाट, थाना-बड़हरा, जिला-भोजपुर ।	01-10-1989

लगातार...7/-

3-	श्री कृष्ण कुमार	प्रखं0 कृषि पदा0	ग्राम-घटौना, पो0-घटौना, थाना-पताही, जिला-पूर्वी चम्पारण ।	08-08-2000
4-	श्री देव नारायण झा	ग्राम पं0 पर्यवेक्षक	ग्राम-पो0-सालेपुर लगमा, भाया-घनश्यामपुर, प्रखंड जिला-दरभंगा ।	01-01-1993
5-	श्री उमेश मंडल	प्रखंड सां0पर्यवेक्षक	ग्राम-खरारी, पो0-हथौड़ी, भाया-हायाघाट, जिला-दरभंगा ।	08-06-2001
6-	श्री आनन्द बिहारी झा	कनीय अभियंता	ग्राम-सिनुआर भोपाल, पो0-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा ।	29-09-2000
7-	श्री शिवानन्द दास	प्रधान सहायक	ग्राम-बलाट, पो0-औंसी बमनगामा, भाया-कोठिया रन्वे, थाना-मधुबनी, जिला-दरभंगा ।	28-09-2001
8-	श्री मो0 जकी अहमद	सहायक	ग्राम-सिमरी, पो0-थाना-कंसी सिमरी, जिला-दरभंगा ।	24-05-2000
9-	श्री वीरेन्द्र भूषण दत्त	सहायक	ग्राम-प्रगतिनगर कॉलोनी, वार्ड नं0-17, पो0-थाना-मधुबनी ।	25-09-2001
10-	श्री कैलाश मिश्र	लेखा लिपिक	ग्राम-पो0-सौराठ, जिला-मधुबनी ।	13-07-2001
11-	श्री विश्वनाथ झा	लेखा लिपिक	ग्राम-पो0-सीमपुर, प्रखंड-रहिका, जिला-मधुबनी ।	04-08-2001
12-	मो0 जाहिद हुसैन	कनीय लेखा लिपिक	ग्राम-बरदेपुर, प्रखंड-पुरतेलिया, भाया-जयनगर, मधुबनी ।	16-07-2001
13-	श्री राम प्रसादपंडित	सहायक	ग्राम-रसलपुर, पो0-बहुहरवा थाना-मेजरगंज, जिला-सीतामढ़ी ।	28-12-1988
14-	मो0 मोइनुद्दीन	उर्दू अनुवादक	-	05-02-2003
	मो0 गुलाम रसूद	सहायक उर्दू अनुवादक	ग्राम-बाढ़ समैला, पो0-समैला लाल गंज, जिला-दरभंगा ।	10-07-200

लगातार...8/-

16-	श्री राम प्रसाद महतो	जनसेवक	ग्राम-पो0-पचारा, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
17-	श्री सुरेश मुखिया	जनसेवक	ग्राम-कनकुटीह, पो0-कयीटहर, थाना-सिंधीया, जिला-दरभंगा ।	13-02-2002
18-	श्री परशुराम पाण्डेय	जनसेवक	ग्राम-महाना, पो0-बालसोहिन, थाना-बसन्तपुर, जिला-सीवान ।	09-02-2002
19-	श्री रामाशीष सिंह नं0-1	पंचायत सेवक	ग्राम-धोन्खी, पो0-नागरपुर, मधुबनी ।	11-02-2002
20-	श्री कुशेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-सतघारा, प्रखंड-रहिका, रयाम चीनी मिल, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
21-	श्री अब्दुल कैयूम	पंचायत सेवक	ग्राम-परसा, पो0-रामपट्टी, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी ।	09-02 -2002
22-	श्री महेन्द्र साह	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-सप्ता, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
23-	श्री सुकल मोची	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-सिमरी, भाया-राजनगर, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
24-	श्री महेन्द्र पासवान	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-रहिका, प्रखंड-रहिका, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
25-	श्री श्यामाकान्त आचार्य	पंचायत सेवक	ग्राम-नाराफापट्टी, पो0-पटवारा, भाया-राजनगर, जिला-मधुबनी ।	08-02-2002 {निलंबित}
26-	श्री जनक किशोर चौरसिया	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-पटेली, भाया-उजियारपुर, जिला-दरभंगा ।	08-02-2002
27-	श्री रामेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	ग्राम-कोठिया पो0-थाना-भैरवस्थान, जिला-मधुबनी ।	07-02-2002
28-	श्रीमती पान राय	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-नाजीरपुर, जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
29-	श्री विष्णुदेव भंडारी	पंचायत सेवक	-	10-02-2002
30-	श्री जयकान्त सिंह	पंचायत सेवक	-	11-02-2002
31-	श्री चौधरी नरेश कु0 सिंह	पंचायत सेवक	-	08-02-2002
	श्री पूरन पासवान	पंचायत सेवक	-	10-02-2002

लगातार....9/-

33-	श्री जगन्नाथ गुरैया	पंचायत सेवक	-	09-02-2002
34-	मो० अयूब	पंचायत सेवक	-	09-02-2002 - [illegible]
35-	श्रीमती किरण कुमारी श्रीवास्तव	ग्राम सेविका	मुशागर जगदीश, पो०-हथुआ, जिला-गोपालगंज । वर्तमान पता-ग्राम-छोरोपट्टी, पो०-कमतौल, मधुबनी ।	01-02-1997
36-	श्रीमती रेवला देवी	ग्राम सेविका	ग्राम-भौआड़ा कोतवाली चौक, पो०-भौआड़ा, मधुबनी ।	01-02-1997
37-	श्री योगेन्द्र सिंह	जीप चालक	ग्राम-धनजो, पो०-जगतपुर, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी ।	03-07-2002
38-	श्री देवकान्तझा	अनुसेवक	ग्राम-पो०-हरिपुर, प्रखंड-बेनीपुर, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा ।	28-09-1992
39-	श्री हरिशंकर चौधरी	अनुसेवक	ग्राम-लोहना, थाना-झंझारपुर, पो०-सरिसवपाही, जिला-मधुबनी ।	05-02-1994
40-	श्री अवध ठाकुर	अनुसेवक	ग्राम-पो०-पिलखवार, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी ।	24-11-1981
41-	श्री सत्यनारायण सिंह	अनुसेवक	ग्राम-शम्भुआर, थाना-मधुबनी, जिला-मधुबनी ।	11-06-2002
42-	श्री महेश प्रसाद	अनुसेवक	मुहल्ला-सूरतगंज, वार्ड नं०-11, मधुबनी	11-06-2002
43-	श्री केदार चौधरी	अनुसेवक	ग्राम-पो०-जगतपुर, थाना-मधुबनी	13-06-2002
44-	श्री कामेश्वर पासवान	अनुसेवक	ग्राम-पो०-ककना, भाया-मधुबनी, जिला-मधुबनी ।	25-06-2002
45-	श्रीमती रेणु देवी	अनुसेविका	ग्राम-पो०-गंधवारी, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी ।	19-09-1996

उपरोक्त के अलावे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, महिलाप्रसार पदाधिकारी एवं दो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भी यहाँ कार्यरत हैं, जिनका स्थापना उनके पैत्रिक विभाग में है ।

स्टाफ पंजी :-

इस प्रखंड में स्टाफ पंजी का संधारण नियमानुसार किया जा रहा है, जिसमें सभी सरकारी सेवकों के बारे में विस्तृत सूचना

लगातार...10/2

अंकित की जाती है ।

§6§ पूर्व निरीक्षण :-

इस प्रखंड का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5
1-	आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	15-05-1981	09-06-1981	08-08-1981
2-	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	18-12-1997	09-01-1998	08-02-1998
3-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	09-03-2000	06-05-2000	09-06-2000
4-	क्षेत्रीय विकास पदा0दरभंगा	09-06-1984	19-07-1984	13-09-1985
5-	जिला विकास पदा0मधुबनी	28-07-1995	24-08-1995	16-09-1995
6-	अनुमण्डल पदा0सदर मधुबनी	15-01-1994	20-01-1994	17-02-1994
7-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	06-08-1997	29-08-1997	06-10-1997
8-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	17-07-1998	11-08-1998	02-09-1998
9-	अनुमण्डल पदा0सदर मधुबनी	22-11-2002	26-12-2002	11-02-2003

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के अलग-अलग निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका संधारित है एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में साँटा गया है । उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1997 के बाद, उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा वर्ष 2000 के बाद, जिला विकास पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1995 के बाद एवं कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी समाहरणालय द्वारा वर्ष 1998 के बाद इस प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया है । वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी वर्ष 1997 से इस प्रखंड में पदस्थापित हैं, परन्तु उनके द्वारा आज तक इस प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है । बोर्ड प्रकोष्ठ नियमावली के नियम-52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्रि पदाधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में कम से क दो बार निरीक्षण करना है, जो नहीं किया जारहा है । नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय का निरीक्षण करने से कार्यालय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन

लगातार...11/-

दृढ़तापूर्वक करना सुनिश्चित करें । निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन प्रतिवेदन में "दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा किया जायगा " ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । किसी भी वरीय पदाधिकारी द्वारा जब किसी कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है, तो उसमें दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया अथवा नहीं का जिक्र रहना चाहिए । साथ ही समय-सीमा के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भी भेजाजाना चाहिए । यदि समय पर अनुपालन नहीं होता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे ।

§7§ पत्राचार :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खंड§।§ एवं §।।§ के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्र§मुख्य एवं साधारण§ अलग-अलग संधारित है, जो प्रत्येक पंचांक वर्ग के प्रथम में खोली जाती है । इस प्रखंड में विगत तीन वर्षों के पत्राचार की स्थिति निम्नप्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या				निर्गत पत्रों की संख्या		
	मुख्य	साधारण	कुल		मुख्य	साधारण	कुल
2000	105	1207	1312	-	14	2060	2074
2001	260	1049	1309	-	28	1779	1807
2002	-	1068	1968	-	117	1999	2116
2003 §दि024-2-03 तक§	-	317	317	-	-	488	488

विगत तीन वर्षों का प्राप्त एवं निर्गत पत्रों को पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राप्त पत्रों से निर्गत पत्रों की संख्या अधिक है । प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी विधिवत् संधारित है ।

§8§ कर्मपुस्तिका :-

सभी सहायकों के लिए कर्मपुस्तिका संधारित है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर इसकी जांच की

लगातार...

(9) संचित पत्रों की पंजी :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि संचित पत्रों की पंजी बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 34(ग) के अनुसार संधारित है । प्रत्येक माह पूर्व माह से संचित पत्रों को लाल स्याही से अग्रणित कर पंजी में सहायकवार सारांश बनाया जाता है । निरीक्षण के क्रम में यह नहीं बताया गया कि कितने पत्र संचित हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें ।

(10) कार्यपत्रक :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-155 के अनुसार प्रत्येक सहायक के बैठने के पीछे के स्थान के ऊपर दीवाल पर सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा संधारित है । यह एक महत्वपूर्ण तालिका है । इससे यह पता चल जाता है कि कौन से सहायक किस विषय पर संचिका का निष्पादन करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय में कार्यरत सभी कोटि के कर्मियों के बैठने के स्थान पर उनका नाम/पदनाम का बोर्ड तैयार कर टेबुल पर रखवाया जाय, जिससे संबंधित कर्मियों से जानकारी प्राप्त किया जा सके ।

(11) अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में वर्णमाला क्रमानुसार संधारित है । बताया गया कि कुल 53 विषयों पर वर्त्तमान में 485 संचिकाएँ संधारित है ।

(12) सेवापुस्त :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 162 बि.से.सं. के नियम 288 एवं 299 के तहत वि. वि. नियमावली खण्ड-। के नियम 101 एवं 102 के अनुसार अनुसूची -53 फार्म-80 ए.जी.पी. फार्म नं0-239 प्रपत्र में सेवापुस्तिका संधारित है । बताया गया कि कुल पदस्थापित 47 कर्मियों के विरुद्ध 38 सरकारी सेवकों का सेवापुस्त उपलब्ध है जिसे 31-3-2002 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है । अन्य 7(सात) कर्मियों का सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है । किन-किन सरकारी सेवकों का सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया ।

लगातार..13/-

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिन सरकारी सेवकों का सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे पत्राचार कर सेवापुस्त मंगवाना सुनिश्चित करें । पत्र की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाय ताकि जिला कार्यालय से संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार किया जा सके । अवकाश लेखा का निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि 31-12-2002 तभी कर्मियों का अवकाश लेखा अद्यतन है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सेवापुस्तिका के सत्यापन के निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय :-

1- किस अवधि से किस अवधि तक वेतन का भुगतान किया गया है ।

2- सेवा में टूट तो नहीं है ।

3- अर्जित अवकाश का लेखा अद्यतन किया गया है अथवा नहीं ।

4- संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी तो नहीं की गई है ।

5- जन्म तिथि सही ढंग से अंकित है अथवा नहीं ।

6- नियुक्ति पत्र को पुनः जाँच कर ली गई है अथवा नहीं ।

<u>§13§ भविष्य निधि पासबुक ::-</u>

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कुल पदस्थापित 45 कर्मियों में से 31 कर्मियों का सामान्य भविष्य नि... पासबुक इस प्रखंड में उपलब्ध है । बताया गया कि 15 कर्मियों का पासबुक उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से अप्राप्त है । सभी कर्मियों का भविष्य निधि पासबुक 31-1-2003 तक सत्यापित है । जिन 15 कर्मियों का पासबुक उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में निरीक्षण प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही जिक्र किया गया है कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है । प्रखंड विकास पदाधिकारी अविलम्ब इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें एवं जिन सरकारी सेवकों का पासबुक अप्राप्त है, उनके नियंत्री पदाधिकारी से पत्राचार कर पासबुक मंगवाने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कार्यरत सभी कर्मियों का भविष्य निधि कटौती विवरणी वर्ष 2001-2002 तक जिला भवि... निधि पदाधिकारी, मधुबनी को भेजा जा चुका है ।

लगातार...14/-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि निम्नांकित कर्मियों का भविष्य निधि लेखा विवरणी वर्ष 2000-2001 तक का घटौती विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजा जा चुका है, परन्तु अद्यतन लेखा पर्ची कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि इसको जाँच कर संबंधित कर्मियों का अद्यतन लेखा पर्ची भेजना सुनिश्चित करें ।

क्रमांक	नाम/पदनाम	लेखा संख्या
1-	श्री ब्रजनन्दन सिंह, प्र0कृ0पदाधिकारी	एम0डी0बी0 -ए0आर0-505
2-	श्री आनन्द बिहारी झा, कनीय अभियंता	डी0बी0जी0- पी0डब्लू0डी0-810
3-	श्री सीताराम यादव, जनसेवक	एम0डी0बी0 - ए0जी0आर0-382
4-	श्रीमती किरण कु0श्रीवास्तव, ग्रा0सेविका	एम0डी0बी0 - पी0ए0आर0-471
5-	श्रीमती केवला देवी, ग्राम सेविका	एम0डी0बी0- पी0ए0आर0- 422
6-	श्रीकान्त वर्मा, अनुसेवक	एम0डी0बी0- पी0 ए0 आर0-461
7-	श्री प्रभुनाथ मिश्र, अनुसेवक	एम0डी0बी0- पी0ए0आर0- 456
8-	श्री देवकान्त ठा, अनुसेवक	एम0डी0बी0- ए0जी0आर0- 2651
9-	श्री हरिशंकर चौधरी, अनुसेवक	एम0डी0बी0- ए0जी0आर0- 25
10-	श्री अब्दुल कुद्दुस, पंचायत सेवक	एम0डी0बी0- आर0डी0डी0-414
11-	श्री दिनेश यादव, अनुसेवक	आर0डी0डी0- आर0डी0डी0-449
12-	श्री लाल मोहन मिश्र, लेखा लिपिक	आर0डी0डी0 - पी0ए0आर0-763
13-	श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, लेखा लिपिक	आर0डी0डी0- पी0ए0आर0- 677
14-	श्री नारायण मेहता, पंचायत सेवक	एम0डी0बी0 - आर0डी0डी0- 558

(14) वेतन वृद्धि पंजी :-

यह पंजी सादे कागज की छोटी पुस्तिका के रूप में पूर्व से ही संधारित है, जिसमें पदस्थापित कर्मियों के वेतन वृद्धि की तिथि अंकित की गयी है । एक महत्वपूर्ण पंजी है । इस पंजी के संधारण से यह पता चल जाता है कि किस कर्मचारी को कब वेतनवृद्धि देय है ताकि समय पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके ।

(15) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना पंजी :-

इस प्रखंड में यह पंजी हाल ही में खोला गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2005 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की

लगातार...15/-

तैयार कर ली गयी है । एक सूची प्रधान सहायक के पास अनुश्रवण हेतु सुरक्षित है । वर्ष 2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची संबंधित विभागों को भेजी गयी है । वर्ष 2003 से 2005 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का नाम/पदनाम निम्नवत है :-

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त की तिथि
1-	श्री मो० हसीब खाँ	पंचायत सेवक	31-01-2003
2-	श्री जनक किशोर चौरसिया	पंचायत सेवक	31-08-2003
3-	श्री प्रहलाद प्रसाद खन्ना	आशुटंकक	31-07-2004
4-	श्री सत्य नारायण सिंह	अनुरेखक	31-05-2004
5-	श्री सुरेश मुखिया	जनसेवक	31-05-2004
6-	श्री शिवानंद दास	प्रधान सहायक	28-02-2005
7-	श्री राम प्रसाद महतो	जनसेवक	31-07-2005
8-	श्री परशुराम पाण्डेय	जनसेवक	31-07-2005

§16§ प्रतिभूति बंधपत्र :-

इस प्रखंड में प्रतिभूति बंधपत्र संधारित नहीं है, जो आश्चर्य का विषय है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नि 232 एवं बिहार वित्त नियमावली के भाग-I, प्रकरण-8, नियम-24 तथा बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-208 एवं 210 में दिये ग निर्देश के अनुसार प्रधान सहायक एवं प्रखंड नाजीर की जमानत की राशि एवं जामिनी बंध पत्र प्राप्त किया जायगा । इसके लिए एक पंजी होगी, जो पंजी-73 कही जायेगी । यह जमानत की राशि समाहर्त्ता के पदनाम से बंधपत्र रहेगा तथा जामिनी बंध पत्र बिहार राज्यपाल के नाम से विहित प्रपत्र में देना है । नियमानुसार प्रखंड नाजीर को 500/-रुपया एवं प्रधान सहायक को 250/-रुपया जमा के रुप में जमा करना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन तीन दिनों के अन्दर करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संबंधित कर्मचारी/नाजीर अगर सरकारी राशि का गबन करता है, तो उनके

लगातार....16/-

पैतृक सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति से पहचानी की जा सके ।

§17§ रद्दी संचिका :-

बोर्ड प्रकोष्ठ नियमावली के नियम-60 एवं 120 के अनुसार रद्दी संचिका का संधारण किया जाना है, जो विधिवत संधारित है । अलग-अलग विषय के लिए सभी सहायकों द्वारा रद्दी संचिका का संधारण किया गया है जिसमें राज्य सरकार एवं जिला मुख्यालय से समय-समय पर जो महत्वपूर्ण परिपत्र/अनुदेश आदि प्राप्त होते हैं, उसे सॉर्टकर संधारित किया जा रहा है ।

§18§ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

इस प्रखंड में प्रत्येक माह में प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजी जाती है । साथ ही प्रत्येक माह में जिला स्तर पर आयोजित प्रधान सहायक की बैठक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से जमा किया जाता है ।

§19§ प्रधान सहायक नोट बुक :-

बोर्ड प्रकोष्ठ नियमावली के नियम-117 के अनुसार प्रधान सहायक नोट बुक वर्णमालानुसार संधारित है एवं महत्वपूर्ण पत्रों आदि को प्रविष्टि की जाती है एवं उसका अनुपालन समय-सीमा के अन्दर की जाती है ।

§20§ अवकाश पंजी :-

अवकाश पंजी विधिवत संधारित है एवं सभी कर्मियों के लिए अलग-अलग पृष्ट आवंटित कर पंजी के प्रथम पृष्ट पर अनुक्रमणी बनाया गया है एवं नियमित रूप से अवकाश की प्रविष्टि की जाती है ।

§21§ उपस्थिति पंजी :-

उपस्थिति पंजी विधिवत इस प्रखंड में संधारित है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर उपस्थिति पंजी की जाँच करें ।

§22§ पंजियों की पंजी :-

पंजियों की पंजी इस प्रखंड में संधारित नहीं है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है, जिसमें प्रखंड कार्यालय में संधारित सभी पंजियों

लगातार....17/-

जिम्मे रहता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण तीन दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करें । यह प्रधान सहायक का मुख्य दायित्व भी है ।

§23§ चपरासी बही :-

चपरासी बही विधिवत संधारित है ।

§24§ मेसेन्जर पंजी :-

यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मेसेन्जर पंजी में नाजीर का फोटो अभिप्रमाणित कर चिपकाया गया है ।

§25§ आवंटन पंजी :-

इस प्रखंड में दो तरह का आवंटन पंजी का संधारण किया जाता है । एक केन्द्रीय आवंटन पंजी एवं दूसरा कोषागार आवंटन पंजी । केन्द्रीय आवंटन पंजी में आय-व्यय का ब्यौरा शीर्षवार पृष्ट आवंटित कर दर्ज की गयी है । कोषागार आवंटन पंजी में प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग-अलग विपत्रों की अद्यतन प्रविष्टि की जाती है ।

§26§ बजट कंट्रोल पंजी :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि यह पंजी इस प्रखंड में संधारित नहीं है, परन्तु नियम रूप से शीर्षवार अलग-अलग संचिका के माध्यम से नियमित समय पर आवंटन की मांग की जाती है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस हेतु पंजी का संधारण अविलम्ब सुनिश्चित करें ।

§27§ विधान सभा/लोक सभाप्रश्नों की पंजी :-

इस प्रखंड में यह पंजी विधिवत संधारित है । बताया गया कि कोईप्रश्न लंबित नहीं है ।

§28§ उच्च न्यायालय से संबंधित मामला :-

बताया गया कि इस प्रखंड में उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है ।

[illegible] अंकेक्षण पंजी :-

अंकेक्षण पंजी संधारित है । परन्तु किस वर्ष तक इस प्रखंड का अंकेक्षण किया गया है के बारे में निरीक्षण प्रतिवेदन में [illegible]

लगातार...18/-

नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इस दिशा में स्थिति स्पष्ट करें ।

(30) भंडार पंजी :-

इस प्रखंड में भण्डार पंजी संधारित है जिसमें प्रखंड में स्थित सामग्रियों का इन्द्राज किया जाता है । इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्रियों के लिए भी अलग से संधारित है ।

(31) योजना पंजी :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सभी योजनाओं के लिए अलग-अलग योजना पंजी संधारित है । पंजी के बांये पृष्ट पर योजना संख्या, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, स्वीकृत्यादेश संख्या, योजना प्रारम्भ की तिथि, पंचायत एवं निर्मित मापी पुस्त का ब्यौरा आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी के दाहिने पृष्ट पर अभिकर्त्ता का नाम एवं दी गयी अग्रिम का ब्यौरा अंकित किया जाता है । बताया गया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में आवंटित चावल हेतु अलग से एक खाद्यान्न भंडार पंजी संधारित है एवं विभिन्न योजनाओं हेतु निर्गत चावल का कूपन की अद्यतन प्रविष्टि दर्ज की गयी है ।

(32) वाहन का लौग बुक :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वाहन का लौग बुक संधारित है एवं सत्यापित है । प्रखंड जीप की मरम्मति चार माह पूर्व करायी गयी है, परन्तु वर्त्तमान में पुनः कुछ खराबी आ जाने के कारण गाड़ी बन्द है । इस प्रखंड को स्थानीय विधायक श्री नैयर आजम के कोष से प्राप्त एम्बुलेंस से भी कभी-कभी सरकारी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं, जिसके लिए अलग लौग बुक का संधारण कि[illegible] गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वाहन का लौग बुक में प्रत्येक माह कितना किलो मीटर गाड़ी च[illegible] कितना ईंधन खपत हुआ आदि का ब्रेक अप सुनिश्चित किया जाय एवं उसका सत्यापन भी किया जाय ।

(33) वाहन का इतिहास पंजी :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रखंड में स्थित वाहन के लिए इतिहास पंजी संधारित है जिसमें समय-समय प[illegible] क्रय किये गये सामग्रियों आदि का जिक्र किया जाता है ।

(34) वेतन भरपाई पंजी :-

विभिन्न शीर्ष के लिए अलग-अलग वेतनभरपाई पंजी संधारित की गई है ।

लगातार....19/-

§35§ रोकड़ पंजी :-

सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण टी०सी० फार्म-6 में किया गया है जो दिनांक 18-2-2003 तक प्रधान सहायक एवं खण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है । साथ ही दिनांक 19-2-2003 से 23-2-2003 तक आय-व्यय शून्य दर्शाते हुए नाजीर एवं खण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है एवं अद्यतन है । सामान्य रोकड़ पंजी के अनुसार मौ० 94,76,888=42 पैसा अवशेष दिखाया गया है, जो अधिक प्रतीत होता है । सामान्य रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कुल 40 मदों में राशि रखी गई है, जिसका ब्योरा निम्नवत है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम		अवशेष राशि
1-	इन्दिरा आवास योजना	-	22,55,584=40
2-	बुनियादी न्यूनतम सेवा योजना	-	36,683=00
3-	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना	-	4,37,449=00
4-	सु०रो०यो०/एस०जी०आर०वाई०-II	-	21,37,188=30
5-	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	-	3,64,163=00
6-	विधायक/परिषद योजना	-	7,76,856=00
7-	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	-	1,14,395=00
8-	राज्य वृद्धावस्था पेंशन	-	12,847=00
9-	2235-सा०सु०पेंशन/वेतन	-	शून्य
10-	विशेष अंगीभूत योजना	-	1,57,250=00
11-	2505-राष्ट्रीय ग्रा०नि०कार्यक्रम	-	6,62,358=79
12-	प्रोत्साहन भत्ता	-	50,857=00
13-	2225-कल्याण	-	4,49,973=00
14-	पोषाहार योजना	-	87,139=75
15-	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ	-	शून्य
16-	शिविका योजना	-	49,434=63
17-	चापाकल	-	शून्य
18-	निर्वाचन	-	11,111=85

लगातार....20/-

19-	2515-पंचायत निर्वाचन		
20-	जमानत	-	35,210=81
21-	पंचायत	-	1,010=00
22-	2215-ग्रा0वि0यो0	-	2,26,099=69
23-	2515-जि0ग्रा0वि0अ0	-	1,25,626=93
24-	2401-कृषि	-	4,88,977=86
25-	2401-बोरिंग	-	92,242=69
26-	2230-श्रम एवं रोजगार	-	2,310=47
27-	2053-जिला प्रशासन	-	शून्य
28-	2202- शिक्षा	-	शून्य
29-	843-पी0एल0ए0	-	शून्य
30-	जनगणना	-	शून्य
31-	एस0जी0एस0वाई0	-	39,506=90
32-	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	-	247,258=70
33-	दशम वित्त आयोग	-	10=00
34-	आधारभूत संरचना	-	11,541=75
35-	जिला योजना	-	1,60,586=00
36-	ज0रो0यो0 20% एवं 15 %	-	20,673=00
37-	अन्नपूर्णा योजना	-	2,32,623=00
38-	एकादश वित्त आयोग	-	9,670=00
39-	मातृत्व लाभ योजना	-	1,56,249=00
40-	2245-राहत	-	700=00
		-	6,300=00
		कुल :-	94,76,888=42

उपर्युक्त राशि का बैंकवार विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्र0	बैंक का नाम	खाता नं0	रोकड़ बही के अनुसार अवशेष राशि	पासबुक के अनुसार अवशेष राशि	अन्तर की राशि	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7
	ग्रा0बैंक, पण्डौल	1206	1,57,250=00	2,01,037=00	43,787=00	सूद की राशि रोकड़ में नहीं घटाया गया एवं

लगातार...21/-

						एवं निर्गत चेक पासबुक में चेक द्वारा नहीं घटाया गया है।
2-	ग्रा0बैंक, पण्डौल	1204	98, 046=00	98, 938=00	1- 88=00	1- बैंक द्वारा कटौती ।
					2-980=00	2- सूद रिसीट करना है ।
3-	ग्रा0बैंक, पण्डौल	1207	4, 826=00	4, 826=00	-	-
4-	ग्रा0बैंक, पण्डौल	1203	4, 50, 633=00	4, 52, 631=00	1-1998=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
					2- 567=00	2- सूद रिसीट बाँकी ।
5-	ग्रा0बैंक0पण्डौल	1120	68, 563=00	69, 130=00	1- 567	1- सूद रिसीट बाँकी ।
6-	ग्रा0बैंक0पण्डौल	1191	54, 231=00	54, 231=00	-	-
7-	ग्रा0बैंक0पण्डौल	1167	14, 38, 484=00	14, 47, 036=00	1- 44=00	1- बैंक द्वारा कटौती ।
					2-8596=00	2- सूद रिसीट बाँकी ।
1-	ग्रा0बैंक0, भवानीपुर	3277	36, 683=00	36, 683=00	-	-
2-	ग्रा0बैंक, भवानीपुर	3328	1, 32, 704=00	1, 39, 530=00	1-6826=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
3-	ग्रा0बैंक0भवानीपुर	3329	1, 00, 745=00	1, 08, 476=00	1-7731=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
4-	सेन्ट्रल बैंक, पण्डौल	9993	245=50	969=50	1- 724=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
5-	स्टेट बैंक, सकरी बाजार	34023	3, 34, 287=00	14, 691=00	1- 10364=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
6-	स्टेट बैंक, सकरी बाजार	34022	13, 25, 310=00	37, 291=00	1-31981=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
					2-13, 20, 000=00	2- चेक की राशि बैंक द्वारा खाता में नहीं चढ़ाया गया।
7-	स्टेट बैंक, सकरी बाजार	34015	6, 711=60	7, 021=60	1-310=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
8-	स्टेट बैंक, सकरी बाजार	60016	35, 567=83	35, 567=83	-	-
9-	ग्रा0 बैंक, भीर	04	2, 64, 094=58	2, 64, 094=58	-	-
10-	को0बैंक, पंडौल	2984	38, 673=00	39, 296=00	1-1227=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
					2- 604=00	2- बैंक द्वाराकटौती ।
11-	को0बैंक, पंडौल	सी.-1/56	6, 532=21	6, 007=21	1- 525=00	1- बैंक द्वारा कटौती ।
12-	बैंक, भगवतीपुर	33	15, 059=00	14, 879=00	1- 180=00	1- बैंक द्वारा कटौती ।
13-	बैंक, भगवतीपुर	01255	1, 94, 017=00	2, 12, 039=00	1- 18027=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।

लगातार....22/-

21-	सेन्ट्रल बैंक, मधुबनी	7762	5, 924=45	32, 217=90	1-26, 293=45	1- सूद रिसीट बाँकी ।
22-	इलाहाबाद बैंक, सरिसवपाही ।	8076	1, 71, 736=00	1, 71, 736=00	1-	1-
23-	इलाहाबाद बैंक, सरिसवपाही ।	-	12, 824=50	12, 824=50	1-	-
24-	सेन्ट्रल बैंक, पंडौल	9192	82, 742=86	82, 742=86	-	-
25-	सेन्ट्रल बैंक, पंडौल	37	36, 822=15	36, 822=15	-	-
26-	सेन्ट्रल बैंक, पंडौल	11544	12, 859=00	6, 053=00	1- 3194=00	1-सूद रिसीट बाँकी ।
					2- 10, 000=00	2-चेक की राशि बैंक द्वारा घटानाबाँकी ।
27-	स्टेट बैंक, मधुबनी	01050060177	83, 951=57	83, 237=55	1- 714=02	1-बैंक द्वाराकटौती ।
28-	ग्रा0बैंक, पंडौल	1218	23, 767=00	23, 767=00	-	-
29-	ग्रा0बैंक, पंडौल	1217	1, 010=00	1, 010=00	-	-
30-	ग्रा0बैंक, पंडौल	1225	2, 27, 736=00	2, 29, 778=00	1- 2042=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
31-	ग्रा0बैंक, पंडौल	1221	10, 205=00	10, 263=00	1- 66=00	1- बैंक द्वारा कटौती ।
					2- 124=00	2- सूद रिसीट बाँकी ।
32-	ग्रा0बैंक0, पंडौल	1233	5, 27, 587=00	5, 27, 638=00	1- 51=00	1- सूद रिसीट बाँकी ।
33-	ग्रा0बैंक0पंडौल	1308	1, 24, 249=00	1, 26, 989=00	1- 384=00	1- बैंक द्वारा कटौती ।
					2-1124=00	2- सूद रिसीट बाँकी ।
					3-2000=00	3- चेक की राशि बैंक द्वारा घटाना ।
34-	अस्थायी आगम	-	19, 74, 101=04	-	-	-
35-	अभिस्रव	-	14, 14, 426=18	-	-	-
36-	नगद	-	4, 283=95	-	-	-
		कुल :-	94, 76, 888=42			

रोकड़ बही के उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बैंक से किस तिथि को सत्यापन कराया गया है, इसका

लगातार...23/-

कोई कुछ नहीं किया गया है । पूर्व में भी निर्देश दिया जा चुका है कि पूर्व: नाजीर प्रत्येक माह की 25 वीं तारीख को रोकड़ बही का सत्यापन बैंक से भी करायेंगे जिसका अनुपालन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है । मात्र रोकड़ बही का अंतिम किया गया जो टी०सी० फारम-6 में रेखांकित नहीं है । बताया गया कि विशिष्ट पुस्त के अभाव में ऐसा किया गया है ।

रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्दिरा आवास योजना में मो० 22,55,580/-रुपया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 4,37,449/-रुपया, सुनिश्चित रोजगार योजना/एस०जी०आर०वाई-II में 21,37,188/-रुपया, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत 3,64,163/-रुपया, विधायक/पार्षद योजना अन्तर्गत 7,76,856/-रुपया, विशेष अंगीभूत योजना अन्तर्गत मो० 6,62,358/-रुपया, प्रोत्साहन भत्ता में 50,857/-रुपया, कल्याण मद में 4,49,973/-रुपया, पोषाहार योजना में 87,139/-रुपया, पंचायत में 2,26,099/-रुपया, डी०आर०डी०ए० मद में 4,88,977/-रुपया, कृषि में 92,242/-रुपया, एस०जी०एस०वाई० में 2,47,258/-रुपया, के०आर०वाई० 20 % एवं 15% में 2,32,623/-रुपया, एकादश वित्त आयोग में 1,56,249/-रुपया मुख्य रूप से अवशेष पड़े हुए हैं, जो चिन्ता की बात है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर लें कि यदि राशि खर्च करने योग्य नहीं है, तो अविलम्ब कोषागार चलान/चेक द्वारा जिला कार्यालय को वापस लौटा दें । किसी भी कार्यालय में अनावश्यक रूप से अधिक राशि अवशेष रहने के कारण विचलन की संभावना बढ़ जाती है ।

रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अभी भी प्रखंड नजारत में मो० 36,683/-रुपया अवशेष पड़ा हुआ है, जबकि मासिक बैठक में बहुत दिनों से यह निर्देश दिया जाता रहा है कि चूँकि इस योजना को सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है, फलस्वरूप अवशेष राशि जिला को लौटा दें । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस राशि को दो दिनों के अन्दर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को लौटा दें । इसी प्रकार 2505-रा०ग्रा०नि०का० योजना के अन्तर्गत अभी भी मो० 6,62,358/-रुपया प्रखंड नजारत में पड़ा हुआ है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि यह राशि बहुत दिनों से रोकड़ बही में अग्रणित होकर चला आ रहा है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर लें और यदि राशि खर्च करने योग्य है तो खर्च करें अन्यथा राशि लौटा दें । सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत मो० 21,37,188/-रुपया अवशेष दिखाया गया है, जो अप्रत्याशित रूप से अधिक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सभी योजना कार्य चल रहा है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष राशि को शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करें ।

लगातार....24/-

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया । इस योजना के अन्तर्गत अभी भी अलग-अलग खाता नहीं खोला गया है, जो उचित नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी अविलम्ब अलग-अलग इस योजना के लिए खाता खोलना सुनिश्चित करें ।

इसी प्रकार छात्रवृत्ति मद में मो0 4,49,973/-रूपया अवशेष दिखाया गया है, जो बहुत अधिक राशि है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत को चेक उपलब्ध करा दिया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि चेक के क्लीयरेन्स में समय लगता है, फलस्वरूप नगद में ही राशि उन्हें उपलब्धकरा दिया जाय एवं अविलम्ब राशि का वितरण छात्रों के बीच करा दिया जाय । यदि संबंधित पंचायत के मुखिया छात्रवृत्ति का वितरण नहीं करते हैं, तो अपने स्तर से प्रखंड मुख्यालय में ही कैम्प लगाकर छात्रों के बीच राशि वितरित कर दिया जाय ।

पंचायत निर्वाचन मद में मो0 35,210/-रूपया अवशेष दिखाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि भाड़ा का पैसा है । इसे शीघ्र समायोजन करने का निर्देश दिया गया ।

सहायक रोकड़ पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमानत मद में 1010/-रूपया अवशेष दिखाया गया है । पंजी की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है । इसे सही ढ़ंग से बाईंडिंग कर संधारित करने का निर्देश दिया गया ।

इसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत मो0 2,47,258/-रूपया अवशेष दिखाया गयाहै । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण मद का पैसा है । सहायक रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसमें एरेजर लगाया गया है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर किया गयाहै । रोकड़ पंजी में कटिंग नहीं होना चाहिए, इससे संदेह उत्पन्न होता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड नाजिर भविष्य में इस बात का ख्याल रखें ।

जिला योजना मद में मो0 20,673/-रूपया अवशेष दिखाया गया है जिसे जिला योजना कार्यालय को वापस लौटाने का निर्देश दिया जाता है । इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना 20% एवं 15 % मद में 2,32,623/-रूपया अवशेष दिखाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसको छानबीन कर लें और यदि राशि खर्च योग्य नहीं है, तो जिला कार्यालय में अविलम्ब लौटा दें । राहत मद में मो0 6,300/-रूपया अवशेष दिखाया गया है, जिसे अविलम्ब वापस लौटाने का निर्देश दिया जाता है ।

लगातार.....25/-

(36) अग्रिम :-

रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अस्थायी अग्रिम के रुप में विभिन्न सरकारी सेवकों को कुल रु० 10,74,101= [illegible] पैसा का भुगतान किया गया है, जिसका समायोजन नहीं हो पाया है । यह अप्रत्यावर्तित रुप से बड़ी राशि है, जिस पर [illegible] [illegible] की आवश्यकता है । विभिन्न सरकारी सेवकों द्वारा ली गई अग्रिम का विवरणी निम्न प्रकार से है ।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	अग्रिम की राशि
1-	श्री पति झा	प्र०शि०प्र०पदाधिकारी	225=00
2-	श्री जगदीश मिश्र	सहायक	75=00
3-	श्री मजहर हुसैन	गोदाम मैनेजर	104=04
4-	श्री बृहस्पदेव राय	चिकित्सा पदाधिकारी	100=00
5-	श्री लक्ष्मण झा	पंचायत सेवक	100=00
6-	ऑटो इमीक्स	दरभंगा	5,000 =00
7-	श्री अबूल कलाम	पंचायत सेवक	81,000= 00
8-	श्री सुनील कुमार झा	कनीय अभियंता	16,100=00
9-	श्री सादीक हुसैन	पंचायत सेवक	10,000=00
10-	श्री ज्ञान शंकर	उन्नत चुल्हा	1,000=00
11-	श्री विशम्भर मिश्र	पंचायत सेवक	400=00
12-	श्री लक्ष्मेश्वर झा	पंचायत सेवक	400=00
13-	श्री जर्नादिन यादव	अनुसेवक	621=00
14-	श्री प्रभुनाथ मिश्र	अनुसेवक	621=00
15-	श्री अवध ठाकुर	अनुसेवक	621=00
16-	श्री नथुनी राम	हाडुकसा	621=00
17-	श्री मोहन लाल दास	सहायक	41,556=00
18-	श्री कैलाश ठाकुर	कनीय अभियंता	5,88,500=00
19-	श्री पलटन पासवान	पंचायत सेवक	38,550=00
20-	श्री रामदेव यादव	प्रमुख	700=00
21-	स्व० विधानन्द मिश्र	जंजीरवाहक	621=00

लगातार....26/-

22-	श्री बरती लाल साहु	पंचायत सेवक	200=00
23-	श्री निसार अहमद	उर्दू अनुवादक	800=00
24-	श्री जनक किशोर चौरसिया	पंचायत सेवक	1,000=00
25-	श्री घूरन पासवान	पंचायत सेवक	10,875=00
26-	श्री जयकान्त सिंह	पंचायत सेवक	3,20,600=00
27-	श्री श्यामसुन्दर चौधरी	पंचायत सेवक	6,000=00
28-	श्री चौधरी नरेश कु0सिंह	पंचायत सेवक	16,050=00
29-	श्री ब्रजनंदन सिंह	प्र0कृ0पदाधिकारी	16,685=00
30-	श्री देवनारायण झा	ग्रा0पं0पर्यवेक्षक	2,223=00
31-	श्री परमानन्द लाल दास	पंचायत सेवक	4,300=00
32-	श्री भुवेश्वर प्रसाद मंडल	शिक्षक	695=00
33-	श्री सत्य ना0चौबे	शिक्षक	1,021=00
34-	श्री मुनीन्द्र नाथ झा	शिक्षक	1,574=00
35-	श्री रामनारायण महतो	शिक्षक	100=00
36-	श्री रघुनाथ महतो	शिक्षक	5,485=00
37-	श्री गदीबुल हसन खाँ	शिक्षक	4,370=00
38-	श्री मिल्लत हुसैन	शिक्षक	5,565=00
39-	श्री अबूल हसन दारिश	शिक्षक	154=00
40-	श्री सदरूल हक अंसारी	शिक्षक	4,939=00
41-	श्री उमेश मंडल	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	26,700=00
42-	श्री विजय कुमार झा	प्र0शि0प्र0पदाधिकारी	19,000=00
43-	श्री कृष्ण कुमार	प्र0कृ0पदाधिकारी	450=00
44-	श्री नागेश्वर प्र0यादव	कनीय अभियंता	3,10,000=00
45-	श्री आनन्द बिहारी झा	कनीय अभियंता	3,60,000=00
46-	श्री जगन्नाथ मुखिया	पंचायत सेवक	3,150=00
47-	श्री विष्णुदेव भंडारी	पंचायत सेवक	12,600=00
48-	श्री कुशेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	8,750=00
49-	श्रीमती पान राय	पंचायत सेविका	11,125=00

लगातार...27/-

50-	श्री विपीन कुमार मिश्र	पंचायत सचिव	2,100=00
51-	श्रीमती रेणु देवी	लिपाई कार्ड सचिव	1,000=00
52-	श्री तारिक जावेद	पंचायत सचिव	2,400=00
53-	श्री महेन्द्र पासवान	पंचायत सचिव	7,725=00
54-	श्री सुरेश मुखिया	पंचायत सचिव	2,925=00
55-	श्री रामाशीष सिंह	पंचायत सेवक	5050=00
56-	श्री राम प्रसाद महतो	पंचायत सचिव	3,075=00
57-	श्री अब्दुल कैयूम	पंचायत सेवक	4,500=00
58-	श्रीमती नूना खातून	-	15,000=00
		कुल :-	19,74,101=04

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश राशि पंचायत सेवकों को योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम स्वरूप दिया गया है, जिसकी वसूली/समायोजन नहीं हो पाया है । उक्त तालिका में अग्रिम देने की तिथि एवं किस प्रयोजन हेतु अग्रिम दिया गया है, का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि संबंधित व्यक्ति को कब एवं किस प्रयोजन हेतु अग्रिम दिया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पूर्ण सूची तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में बताया कि अग्रिम की वसूली/समायोजन हेतु सभी संबंधित को नोटिस निर्गत किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अधिकांश सरकारी सेवक इसी जिला के विभिन्न प्रखंड/... में पदस्थापित हैं, जिन्हें नोटिस निर्गत कर राशि वसूली/समायोजन किया जा सकता है । साथही उनके नियंत्री पदाधिकारी को ... राशि वसूली हेतु पत्राचार करें एवं उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें । साथ ही प्रत्येक 15 दिनों के अन्तराल में अग्रिम लेने ...ों को नोटिस निर्गत करें । यदि समय-सीमा के अन्दर राशि का समायोजन/वसूली नहीं होती है, तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध ...-पत्र वाद दायर करें । अस्थायी अग्रिम के रूप में इतनी बड़ी राशि का समायोजन नहीं होना, गम्भीर वित्तीय अनियमितता ... का द्योतक है । अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी से भी अनुरोध है कि अस्थायी अग्रिम की राशि की वसूली की दिशा ...र पर आयोजित साप्ताहिक बैठक में सुविधानुसार उपस्थित होकर इसकी समीक्षा करें एवं वसूली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित कराएँ

लगातार..28/-

(37) अभिश्रव :-

इस प्रखंड में अभिश्रव के रुप में मो0 14,14,420=18 पैसे सन्निहित है, जिसका सामंजन नहीं हुआ है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में अभिश्रव का विषयवार एवं वर्षवार वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि संबंधित अभिश्रव किस शीर्ष एवं किस वर्ष का है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मो0 14,14,420=18 पैसे का वर्षवार/शीर्षवार वर्गीकृत करें एवं उसका समायोजन सुनिश्चित करें । यदि राशि उपलब्ध नहीं हो तो जिला कार्यालय से आवंटन की मांग की जाय ताकि सरकार से राशि की मांग हेतु अनुरोध किया जा सके । प्रखंड विकास पदाधिकारी ध्यान देंगे कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात जो अभिश्रव सामंजन के बाद बच जाता है, उसे लाल स्याही से अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणित कर लायेंगे और उसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में जो अभिश्रव हो, उसे शीर्षवार अंकित करेंगे । अभिश्रव पारित करते समय इस बात का ध्यान रहे कि क्रय किये गये सामग्रियों से संबंधित अभिश्रव पर भंडार पंजी में अंकित करने का प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित हो । साथ ही अभिश्रव पारित करने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि अभिश्रव के समतुल्य राशि स्वीकृत है अथवा नहीं ।

(38) राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत माह-अक्टूबर, 2002 तक के आवंटन को लेकर लगभग 4553 क्विंटल खाद्यान्न के विरुद्ध अद्यतन लगभग 3000 क्विंटल गेहूँ का उठाव एवं वितरण कराया गया है । चालू माह में सहायक गोदाम प्रबंधक को अनुपस्थिति के कारण इस योजना में अपेक्षित सफलता नहीं हो पायी है, परन्तु अब वे उपलब्ध हैं एवं अवशेष खाद्यान्न के उठाव हेतु दिनांक 24 एवं 25 फरवरी, 2003 को तिथि निर्धारित है एवं तदनुसार शिक्षकों को इसकी सूचना दे दी गयी है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष खाद्यान्न का वितरण अविलम्ब सुनिश्चित करायें ।

प्रोत्साहन भत्ता :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रोत्साहन भत्ता के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि मो0 1.68 लाख के विरुद्ध ... 5,237 लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा चुका है । कुछ शिक्षकों के द्वारा कार्यालय में लिये गये अग्रिम का अभिश्रव

लगातार....29/-

नहीं जमा किये जाने के कारण सहायक रोकड़ पंजी में राशि अवशेष दिखती है, जिसके लिए संबंधित शिक्षकों को नोटिस निर्गत किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अभिश्रय जमा कराते हुए समायोजन सुनिश्चित किया जाय ।

§40§ दशम वित्त आयोग :-

निरीक्षण के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत मध्य विद्यालय, शाहपुर में एक बालिका कोचिंग सेन्टर संचालित है, जिसमें श्रीमती मीरा देवी भारती, अनुदेशिका के रूप में पदस्थापित हैं । कोचिंग सेन्टर में कुल 30 छात्राएँ है । इस योजना के अन्तर्गत जिला से प्राप्त मो0 27,000/-रूपये में से 19,272/-रूपया का अद्यतन व्यय किया गया है । बताया गया कि दो स्वास्थ्य केन्द्र अब तक आयोजित किये गये हैं एवं अनुदेशिका को माह-जनवरी, 2003 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष राशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित करें एवं समय-समय पर कोचिंग सेन्टर का निरीक्षण भी करें ताकि यह पता चल सके कि वहाँ पढ़ाई ठीक तरह से चल रहा है ।

§41§ स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक 14.51 लाख की राशि स्वरोजगारियों को व्यक्तिगत एवं समूह ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अनुदान की राशि 19.92 है । परिपक्व समूहों के ग्रेडिंग एवं आवेदन तैयार कर संबंधित बैंकों को भेजा जाता है । चालू माह में दिनांक 25 एवं 26 फरवरी, 2003 को प्रखंड मुख्यालय में इस हेतु तिथि निर्धारित है । वर्त्तमान में गठित स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या 129 है, जिसमें श्रेणी-01 प्राप्त समूह 60 एवं श्रेणी-02 प्राप्त समूह 21 है । इन सभी स्वयं सहायता समूहों का पूर्ण विवरण एक पंजी में संधारित किया जा रहा है, ताकि प्रखंड कार्यालय में पूर्ण सूचना उपलब्ध रहे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें मुख्यतः बुनियादी प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है । निरीक्षण के क्रम में प्रशिक्षण सह-उत्पाद केन्द्र में प्रशिक्षण लेते हुए महिलाओं को देखा गया एवं उनसे पूछताछ भी की गयी । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मो0 1,32,625/-रूपया का व्यय हुआ है ।

§42§ प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र :-

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के आधारभूत संरचना मद में उपलब्ध राशि से प्रखंड मुख्यालय में प्रशिक्षण

लगातार...30/-

-सह-उत्पादन केन्द्र का निर्माण कराया गया है जिसमें स्वयं सहायता समूह को समय-समय पर प्रशिक्षण आदि दिये जाने के साथ-साथ बैठक आदि का भी आयोजन किया जाता है । इसी भवन के ऊपर प्रखंड स्तर पर "आत्मा" द्वारा संचालित कार्यक्रम की गतिविधि पर निगरानी रखने हेतु एक कार्यालय का निर्माण कराया गया है । भवन बहुत ही सुन्दर-सुसज्जित है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस भवन का समय-समय पर मेन्टीनेंस कराना सुनिश्चित करें ।

(43) जिला योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों से एक भी योजना नहीं ली गयी है और न ही कोई योजना लंबित है । परन्तु सहायक रोकड़ बही में अभी भी इस मद में रू0 20,673/-रूपया अवशेष दिखलाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष राशि को अविलम्ब जिला योजना पदाधिकारी को वापस लौटा दें ।

(44) माननीय सांसद स्वच्छ कोष योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 3 योजनायें स्वीकृत है, जिनमें से दो योजनायें पूर्ण हैं और एक योजना, जो सकरी में उर्दू मध्य विद्यालय के भवन निर्माण का है, में प्लास्टर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं फ्लोर कार्य प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि रू0 4,51,236/-रूपया में से 3,35,926/-रूपया व्यय हो चुका है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त योजना को अविलम्ब पूर्ण कराकर पूर्णता -सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

(45) माननीय विधायक/पार्षद स्वच्छ कोष योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि विधायक योजनान्तर्गत इस वर्ष कोई योजना स्वीकृत नहीं है । पार्षद योजना के तहत श्री मंगनी लाल मण्डल, स0चि0प0 द्वारा अनुशंसित एक योजना है, जिसमें कार्य प्रारम्भ है । इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त रू0 5.74 लाख रूपया में से अद्यतन मात्र 0.65 लाख रूपया ही व्यय किया गया है, जो चिन्ताजनक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त योजना को अविलम्ब पूरा करते हुए पूर्णता-सह- उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजना सुनिश्चित करें ।

(46) इन्दिरा आवास योजना (80/20) :-

इन्दिरा आवास योजना (80/20) के लिए अलग से एक पंजी संधारित है। पंचायतवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी

लगातार..31/-

...यतों से संबंधित अभिलेख के लिए अलग-अलग पंचायतवार प्लेट फाईल में संधारित किया गया है, जिसके अन्दर अद्यतन स्थिति की सूची भी ...लग्न है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 189 इकाई गत वर्ष का लंबित था । इस वित्तीय वर्ष में ...264 इकाई आवास निर्माण की योजना ली गई है । इस प्रकार कुल 452 इकाई में से अब तक 240 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है । शेष 213 इकाई में आवास निर्माण का कार्य लंबित है, जो प्रगति पर है । इस मद में गत वर्ष का अवशेष राशि मो0 14.27459 लाख रुपया ...था इस वर्ष की प्राप्ति मो0 52.80 लाख रुपया है । इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि मो0 67.07459 लाख रुपया के विरुद्ध लगभग 47.5 लाख रुपया का व्यय किया जा चुका है, जो उपलब्ध राशि का 70 प्रतिशत है । स्थिति संतोषप्रद कहा जा सकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है लंबित इकाई को पूरा करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए शत-प्रतिशत राशि व्यय ...करने का कष्ट करें एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजें ।

[47] इन्दिरा आवास योजना [20%] :-

इन्दिरा आवास योजना [20%] के लिए एक पंजी अलग से संधारित है । निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी पंचायतों से संबंधित अभिलेख पंचायतवार अलग-अलग प्लेट फाईल में संधारित किया गया है, जिसके अन्दर अद्यतन स्थिति की सूची संलग्न है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की लंबित इकाई 51 एवं चालू वर्ष में 132 कुल 183 इकाई इन्दिरा आवास उन्नयन की योजना है, जिनमें से अब तक 108 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है । शेष 75 योजनाएँ लंबित है एवं कार्य प्रगति पर है । इस मद में उपलब्ध राशि 15.59 लाख रुपया में से अद्यतन 12.24 लाख रुपया व्यय हो चुका है, जो उपलब्ध राशि का 80% है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि शेष योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

[48] बुनियादी न्यूनतम सेवा योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस मद में उपलब्ध राशि मो0 1.72 लाख रुपया दिनांक 21-8-2002 को ...जिला कार्यालय को वापस कर दिया गया है । साथ ही लंबित इकाईयों के लाभार्थियों से सम्पूर्ण अग्रिम की राशि वसूली हेतु नीलाम-पत्र ...दायर किया गया है । सहायक रोकड़ पंजी में इस योजना के अन्तर्गत अभी भी मो0 36,683/-रुपया अवशेष बचा हुआ है, जिसकी ...राशि जिला कार्यालय को लौटाया जाय ।

लगातार....32/-

(4) प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 80% एवं 20% के लिए अलग-अलग योजना पंजी संधारित है एवं लाभुकवार अभिलेख को फ्लैट फाईल में रखा गया है । प्रत्येक फ्लैट फाईल के ऊपर योजनावार अद्यतन स्थिति अंकित की गयी है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 80% योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की लंबित 42 इकाई एवं चालू वर्ष की स्वीकृत इकाई 27 योजनाएं है । इस प्रकार कुल 69 इकाईयों के विरुद्ध अद्यतक 30 इकाई पूर्ण हो चुकी है तथा कुल उपलब्ध राशि 6.64 लाख रुपया के विरुद्ध अद्यतक 5.11 लाख रुपया व्यय किया गया है, जो उपलब्ध राशि का 72 प्रतिशत है ।

इसी प्रकार उन्नयन के मामले में कुल 33 इकाईयों के विरुद्ध 22 इकाईयों के विरुद्ध 22 इकाईयों में कार्य पूर्ण है तथा कुल उपलब्ध राशि 2.47 लाख में से 1.58 लाख रुपया का व्यय हुआ है, जो उपलब्ध राशि का लगभग 64 प्रतिशत है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत लंबित इकाईयों में कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

(5) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (भाग-I) :-

बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की लंबित 6 योजना को लेकर कुल 14 योजनाएँ थी, जिनमें से 6 योजनाओं में कार्य पूर्ण है । एक योजना में असमायोजित राशि की वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद दायर किया गया है, जो वर्ष 96-97 की योजना है । शेष 5 योजनाओं में कार्यप्रारम्भ कराया गया है । इस मद में कुल उपलब्ध राशि 39.58 लाख के विरुद्ध 19.95 लाख का अद्यतन व्यय हुआ है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड को आवंटित राशि के अनुसार दो और योजनाओं की स्वीकृति हेतु अभिलेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को भेजा गया है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-2002 से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः एनक्सर-5 एवं 6 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को पत्रांक 344, 245 दिनांक 4-2-2002 द्वारा भेज दिया गया है । अनुसूचित जाति हेतु आदे वाईस प्रतिशत की राशि से ली जाने वाली योजनाओं की सूची को प्रखंड प्रमुख के स्तर से पंचायत समिति के प्रस्ताव के आलोक में अंतिम रूप दिया जा रहा है । शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेखबद्ध कर भेजा जायगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि दिनांक 20-02-2003 को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भाग-I के

लगातार... 33/-

...त की जाने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जायगा एवं पंचायत समिति उनका पर्यवेक्षण करेंगी ।

(51) सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (भाग-II) :-

इस योजना के अन्तर्गत कुल 233 योजनाओं में से 190 योजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कुल उपलब्ध राशि 44.27 लाख में से अब तक 22.07 लाख रुपया का व्यय हो चुका है । इस मद में अपेक्षित व्यय नहीं होने का कारण खाद्यान्न की अनुपलब्धता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि चालू माह में खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है, जिसे पंचायतों में उपलब्ध कराया गया है ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि नियमित रूप से एक माह में कम से कम पाँच पंचायतों में चल रही योजनाओं का निरीक्षण करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भी भेजें ।

(52) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्दर उपलब्ध राशि से अक्टूबर, 2002 तक का वितरण लाभान्वितों के बीच कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रखंड में उपलब्ध रिक्तियों को भी भर दिया गया है । निरीक्षण के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग से पेंशनधारियों का परिचय-पत्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें पेंशनधारियों का फोटो चिपकाकर अपनी देख-रेख में वितरण कराना सुनिश्चित करें ।

(53) राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से माह-मार्च, 2002 तक का पेंशन वितरण ... शेष राशि निदेशानुसार कोषागार (सिविल डिपोजिट) में जमा किया जा चुका है । साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजा ... है । रिक्तियों को नहीं भरी जाती है ।

(54) पारिवारिक लाभ योजना :-

बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु कोई राशि लंबित नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि ... अनुशंसा के पश्चात् जिला कार्यालय को भेजे गये हैं, जो संभवतः आवंटन के अभाव में लंबित है ।

... लाभ योजना :-

बताया गया कि मातृत्व लाभ योजना के तहत राशि वितरण हेतु लंबित नहीं है ।

लगातार... 34/-

(56) अन्नपूर्णा योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यान्न में से सितम्बर, 2002 तक का खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है । जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के शिथिलता के कारण इस योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है । माहवार खाद्यान्नों का उठाव सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी एवं सहायक गोदाम प्रबंधक को सख्त हिदायत दी गयी थी कि जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता खाद्यान्न का अद्यतन उठाव नहीं करते हैं, उनको अन्य योजनाओं के खाद्यान्न के उठाव से वंचित रखा जाय, किन्तु इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन योजनाओं में अपेक्षित उपलब्धि नहीं हो पा रही है । जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे ।

(57) कल्याण :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस मद में पूर्व में प्राप्त आवंटन को छात्रों के बीच वितरित किया जा चुका है एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजा जा चुका है । हाल में इस मद में प्राप्त आवंटन की निकासी कर ली गयी है । साथ ही पंचायत समिति स्तर से वितरित होने वाली राशि के विरुद्ध सामाजिक न्याय समिति की बैठक से उपरान्त छात्रों का चयन कर लिया गया है एवं राशि वितरण हेतु दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2003 को निर्धारित की गयी है । ग्राम पंचायत स्तर से वितरित होने वाली राशि का पंचायत वार आवंटन पंचायतों को भेज दिया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि राशि का वितरण वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी को भेजा जाय ।

(58) विशेष अंगीभूत योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 54 आवेदन-पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गये हैं, जिनमें 32 की स्वीकृति हुई है । कुल उपलब्ध अनुदान 4, 38, 750/-रूपया , जो इस वित्तीय वर्ष का है में से 2,09, 750/-रूपया का व्यय हो चुका है ।

कम्बल वितरण :-

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त कम्बलों को पंचायतवार आवंटित कर वितरण करा दिया गया है । 16 पंचायतों का

वितरण के पश्चात् अभिश्रव भी भेज दिया गया है । शेष का भी शीघ्र भेज दिया जायगा

§60§ मिलियन शैलो ट्यूबेल कार्यक्रम :-

बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों में भेजे गए कुल 89 आवेदन-पत्रों में से 48 आवेदन पत्रों की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा दी गयी है, जिनमें से 45 मामलों में भुगतान भी किया जा चुका है तथा कुल 10.36 लाख का ऋण आवेदकों को दिया गया है ।

§61§ निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस प्रखंड का कार्यकलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी एक योग्य, कर्मठ एवं निष्ठावान पदाधिकारी हैं । ये जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं । मुख्य रूप से इस प्रखंड में अग्रिम की वसूली/समायोजन एवं अभिश्रव का वर्षवार/विषयवार वर्गीकृत करना है । सभी कर्मियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त कार्यालय परिसर का नियमित रूप से सफाई कराने की आवश्यकता है । इस निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है, यदि समय-सीमा के अन्दर उसका अनुपालन किया जाय, तो निश्चित रूप से इस कार्यालय के कार्य में और भी गुणात्मक सुधार होने की संभावना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

ह0/-डा0वी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार....36/-

ज्ञाप संख्या 765 । जिला विकास, मधुबनी, दिनांक 3/ मार्च, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पण्डौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Bijender 29/3/2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।